

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, (भा०प्र०से०)
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक 15/06/22

विषय- राज्य योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में केज कल्चर विस्तार और सुदृढीकरण योजना का कुल मो० 702.298 लाख (सात करोड़ दो लाख उनतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र की लागत पर स्वीकृति एवं व्यय के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना अन्तर्गत केज कल्चर विस्तार और सुदृढीकरण योजना की कुल मो० 702.298 लाख (सात करोड़ दो लाख उनतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु मो० 800.00 लाख (आठ करोड़) रुपये का योजना उद्ब्यय निर्धारित है तथा इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो० 702.298 लाख (सात करोड़ दो लाख उनतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष रो की जाएगी :-

मुख्य शीर्ष-2405-गछली पालन-उप शीर्ष-66-केज कल्चर विस्तार और सुदृढीकरण योजना
(राशि लाख रु० में)

क्र०	लघु शीर्ष/विरतृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	101-अन्तर्देशीय गछली-पालन-विरतृत शीर्ष- 03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010166010323	308.00	303.684	4.316
2	101-अन्तर्देशीय गछली-पालन-विरतृत शीर्ष- 05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S24050010166010544	42.00	0.00	42.00
उप योग:		350.00	303.684	46.316
क्र०	लघु शीर्ष/विरतृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
3	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-विरतृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078966010323	91.00	90.778	0.222
4	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-विरतृत शीर्ष-05-निर्माण-44 -जीर्णोद्धार 53S24050078966010544	9.00	0.00	9.00
उप योग:		100.00	90.778	9.222

क्र०	लघु शीर्ष/विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
5	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079666010323	308.00	307.836	0.164
6	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S24050079666010544	42.00	0.00	42.00
	उप योग:	350.00	307.836	42.164
	कुल योग:	800.00	702.298	97.702

कुल मो0 702.298 लाख (सात करोड़ दो लाख उनतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र।

4. राज्य के वैसे सभी खदान जिनमें मछली पालन की संभावना है, उनमें केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन करने तथा स्थानीय ग्रामीणों/विस्थापितों की आय में बढ़ोत्तरी हेतु निम्न शर्तों के साथ राज्य योजना अन्तर्गत यह योजना स्वीकृत की गई है-

- केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण में प्रथम चरण में मुख्यतः खदानों एवं कुछ जलाशयों में केज कल्चर द्वारा मछली पालन किया जायेगा।
- खदानों तथा जलाशयों में केज कल्चर में मुख्यतः G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज-एक बैटरी मॉडल अथवा 8m x 6m x 5m के दो केज-एक बैटरी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। दिनांक 07.07.2021 को सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही ज्ञापक 878 दिनांक 19.07.2021 द्वारा निर्गत है, में जिला मत्स्य पदाधिकारियों की अनुशंसा अनुसार खदानों में बड़े केज अर्थात् 12m x 8m x 5m के एक केज-एक बैटरी से बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा क्योंकि वहाँ घुलनशील ऑक्सीजन जलाशयों की तुलना में कम होता है। साथ ही बड़े केज होने से पानी का बहाव बेहतर होगा।
- खदानों का चयन -
 - जिनका क्षेत्रफल ज्यादा हो।
 - पहुँच पथ हो तथा आबादी के नजदीक हो।
 - मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो अथवा स्थानीय लाभुक अपना अंशदान लगाने के इच्छुक हों।
- लाभुकों का चयन - लाभुकों का चयन जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निम्न शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :-
 - लाभुकों के चयन में खदानों/जलाशयों के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - यदि खदान के उपयोग हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो तो उसका सदस्य हो।
 - खदान के आस-पास के निवासी हों।
 - लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो।
 - मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है।
 - एक बैटरी में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं।

5. केज अधिष्ठापन -

- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज-एक बैटरी मॉडल के मो0 3,87,850/- रु0

मात्र तथा 8m x 6m x 5m के दो कंज-एक बैटरी मॉडल के मो0 3,67,350/- रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन्हीं उपलब्ध प्राक्कलों को ध्यान में रखते हुए दोनों आकार के कंज बैटरी अधिष्ठापन हेतु अधिकतम मो0 3,60,000/- रु0 मात्र प्रति कंज-बैटरी की दर निर्धारित की गई है।

- (ii) निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करते हुये उपरोक्त दोनों प्रकार के कंज बैटरी की इकाई लागत मो0 3,58,000/- रु0 मात्र प्रति कंज-बैटरी निर्धारित की गई है तथा मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 1839 दिनांक 22.12.2021 द्वारा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया गया है।
- (iii) कंज का अधिष्ठापन लाभुक द्वारा उपर्युक्त कंडिका (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।
- (iv) "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित प्रति कंज-बैटरी की दर मो0 3,58,000/- रु0 मात्र पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 3,22,200/- रु0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 5 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। खदानों तथा जलाशयों के विस्थापित कंज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कंज अधिष्ठापन में 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- (v) कंज अधिष्ठापन उपरांत किये गये कार्य के अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा आवश्यक अनुदान की राशि प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कार्य एजेन्सियों को भुगतान की जायेगी।

6. कंज में इनपुट -

- (i) विस्थापित कंज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त उल्लिखित दोनों प्रकार के कंज-बैटरी हेतु इनपुट के लिए राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत (अधिकतम मो0 2,00,000/-रु0) होंगे तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।
- (ii) इनपुट की राशि लाभुकों के बैंक खाते में तीन किस्तों में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- (iii) लाभुक के द्वारा इनपुट यथा समुचित संख्या में मत्स्य बीज (प्रति बैटरी कम से कम 12000 मत्स्य बीज) संचयन के उपरांत एवं मानक कम्पनियों के 2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फिश फीड तथा आवश्यकतानुसार 4 mm फ्लोटिंग फिश फीड के GST सहित अभिश्रव प्रस्तुत करने अथवा झार्स्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से 4 mm फ्लोटिंग फिश फीड के क्रय पर ही इनपुट की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- (iv) फिश फीड के क्रय की भौतिक सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों की होगी।
- (v) वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत अधिष्ठापित कंज बैटरियों हेतु आवश्यक कुल इनपुट के विरुद्ध प्रति कंज बैटरी मो0 21,000/- रु0 मात्र की दर से विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि उपलब्ध कराई गई थी। अतएव राज्यादेश सं0 36 रा0 (वि0) दिनांक 21.01.2022 की कंडिका 6 (i) तथा (v) के क्रम में इनपुट की शेष आवश्यक राशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध कराई जा रही है।

7. कंज मत्स्य पालकों को नाव - कंज मत्स्य पालकों को नाव भी उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत सामान्य नाव हेतु स्वीकृत दर के अनुरूप ही कंज लाभुकों को दिये जाने वाले नाव हेतु

प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/- (तींतीस हजार) रु0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम 30,000/- (तीस हजार) रु0 प्रति नाव होगी। शेष राशि लाभुक सदस्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

8. **केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट** - केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें MMD Approved, 16.5 kilos Floatability तथा 80 X 37 X 10 Cms Size के Soft neoprene foam & airex filling का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत इसी कार्य हेतु पूर्व आकलित दर 1600/- रुपये पर ही स्वीकृत 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1200/- रु0 मात्र) की दर से देय होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का अपना होगा।

9. योजना का अनुश्रवण त्रिस्तरीय होगा। प्रथमतः क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी स्थल निरीक्षण/परियोजना निरीक्षण करते हुए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

निरीक्षण का द्वितीय स्तर जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा एवं निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तरीय उप मत्स्य निदेशक/सहायक मत्स्य निदेशकों से रैंडम निरीक्षण कराया जाएगा।

10. क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस कार्य हेतु राशि विमुक्त की जा रही है उसका व्यय उन्ही कार्यों में किया जाय।

11. जिलावार/लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट-I एवं II** के रूप में संलग्न है।

12. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, धनबाद, पलामू, गढ़वा, देवघर तथा दुमका एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी, सरायकेला-खरसावाँ, रामगढ़, कोडरमा तथा पाकुड़ होंगे जो **परिशिष्ट-I एवं II** में जिलावार अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

13. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार होंगे।

14. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

15. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है।

16. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 600.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 599.94 लाख रु0) मात्र में से मो0 567.87 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

18. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को

प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

19. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
20. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव तथा प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
23. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन


(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 08 रत० (वि०) / रॉची, दिनांक 15/06/22

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/ मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 08 रत० (वि०) / रॉची, दिनांक 15/06/22

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त तथा सभी अपर समाहर्ता (अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 08 रत० (वि०) / रॉची, दिनांक 15/06/22

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-66-केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढीकरण योजना के तहत खदानों एवं जलाशयों में केज कल्चर द्वारा मछली उत्पादन हेतु वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में) की विवरणी

क्रम	जिला का नाम	खदान/ जलाशय	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	कुल वित्तीय लक्ष्य
			विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री		
			वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिष्ठापित केज बैटरी हेतु इनपुट के लिए अनुदान की शेष राशि *		
1	2	3	4	5	6
1	हजारीबाग	खदान	26.85	0.00	26.85
2	रामगढ़	खदान	21.48	0.00	21.48
3	चतरा	खदान	14.32	0.00	14.32
4	धनबाद	खदान	17.90	0.00	17.90
5	गढ़वा	जलाशय	14.32	0.00	14.32
6	देवघर	जलाशय	42.96	0.00	42.96
7	राँची	जलाशय	0.00	21.48	21.48
8	चाईबासा	खदान	0.00	35.80	35.80
9	सरायकेला	जलाशय	0.00	53.70	53.70
10	दुमका	खदान	0.00	21.48	21.48
11	पाकुड़	खदान	0.00	19.69	19.69
कुल			137.83	152.15	289.98

* केज-बैटरी हेतु इनपुट के लिए राज्य सरकार का अनुदान अधिकतम मो० 2,00,000/-रु० प्रति केज बैटरी के विरुद्ध मो० 21,000/- रु० प्रति केज बैटरी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया है। इनपुट के लिए अनुदान की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस राज्यादेश के माध्यम से स्वीकृत।

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

मो० दो करोड़ नवासी लाख अनठानवे हजार रु० मात्र।

(अबुबकर/सिद्धीख पी०)
सरकार के सचिव

34

परिशिष्ट II

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-66-केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत खदानों एवं जलाशयों में केज कल्चर द्वारा मछली उत्पादन हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(क) लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन

क्रम	जिला का नाम	खदान/जलाशय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)
			भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोडरमा	जलाशय	8	25.7760	16.000	3	0.900	8	0.096	42.7720
2	बोकारो	खदान	9	28.9980	18.000	3	0.900	9	0.108	42.0060
3	देवघर	जलाशय	8	25.7760	16.000	3	0.900	8	0.096	42.7720
4	पलामू	खदान	6	19.3320	12.000	3	0.900	6	0.072	32.3040
उप योग:			31	99.8820	62.000	12	3.600	31	0.372	165.854

(ख) लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

क्रम	जिला का नाम	खदान/जलाशय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)
			भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राँची	जलाशय	10	32.2200	20.000	3	0.900	10	0.120	53.2400
2	कोडरमा	जलाशय	7	22.5540	14.000	3	0.900	7	0.084	37.5380
उप योग:			17	54.7740	34.000	6	1.800	17	0.204	90.7780

(ग) लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना

क्रम	जिला का नाम	खदान/जलाशय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)
			भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	खूँटी	जलाशय	8	25.7760	16.000	3	0.900	8	0.096	42.7720
2	चाईबासा	खदान	6	19.3320	12.000	3	0.900	6	0.072	32.3040
3	सरायकेला	जलाशय	5	16.1100	10.000	2	0.600	5	0.060	26.7700
4	दुमका	जलाशय	5	16.1100	10.000	3	0.900	5	0.060	27.0700
5	पाकुड़	खदान	5	16.1100	10.000	2	0.600	5	0.060	26.7700
उप योग:			29	93.4380	58.000	13	3.900	29	0.348	155.686
कुल योग:			77	248.094	154.000	31	9.300	77	0.924	412.318

(क) + (ख) + (ग) कुल मो० चार करोड़ बारह लाख इकतीस हजार आठ सौ रु० मात्र।

(अबुबकर सिद्दीकी भी०)
सरकार के सचिव